- 8. अपने विवाह अथवा अपने पुत्र/पुत्री/बहन /भाई के विवाह के लिए (घोषण प्रस्तुत करें) Marriage of Self/Son/Daughter/Sister/Brother: (Furnish a declaration in Form 31)
- बेटा/बेटी के मैट्रिक से उच्च शिक्षा के लिए
  (संबंधित कालेज द्वारा कोर्स के तथा अनुमानित खर्च के बारे में प्रमाण पत्र देना होगा)
  Post Matriculation education of Son/Daughter:
  (Certificate from the institution regarding the course of study and anticipated expenditure)
- 10. प्राकृतिक विकोप (प्रवाह/दंगा/भूकम्प) के कारण जायदाद को क्षति । (प्रपन्न 'डी' भरकर प्रस्तुत करें) Damage to the property due to natural calamity (Flood/Riot/Earthquake): (Furnish the certificate 'D' given overleaf)
- विद्युत रोके जाने पर प्रभावित होने पर : (प्रपत्र 'ई' भरकर प्रस्तुत करे)
   Affected by cut in electricity: (Furnish the certificate 'E' given overleaf)
- 12. शारीरिक अपांग सदस्य साधन खरीदने के लिए (प्रपत्र - 'एफ' भरकर प्रस्तुत करें) Purchase of equipment for physically handicapped member: (Furnish the certificate 'F' given overleaf)

सूचना : 1) स्वीकृति अधिकारी द्वारा वांछित अन्य ऐसे कोई दस्तावेज / प्रमाण -पत्र भी देना होगा

Note : Such other document, certificate etc., as may be required by sanctioning authority are also required to be furnished.

2) यदि एक महीने के अन्दर कोई सूचना नहीं मिली तो स्थापना के मार्फत क्षे.भ.नि आ/प्रभारी अधिकारी (उ.ले.का) के लिखें। In case no intimation is received within a month, please write to the R.P.F.C./Officer-in-charge of Sub-Account office through the establishment.